संख्या- 55/2016/1447/35-3-2016-1(97)/2010

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
गिरि विकास अध्ययन संस्थान,
सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2016

विषयः गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सदस्यों/कार्मिकों द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर की गयी यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश सं0-जी-2-175/दस-2011-601/2011,दिनांक 31.03.2011 में निर्धारित दरों पर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से संबंधित स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2008-2009 में अंकित कतिपय आडिट प्रस्तरों के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच संबंधी समिति(2013-2014)" की दिनांक 12 मई,2015 को विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष सं0-44 ख में सम्पन्न हुई साक्ष्य बैठक में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2008-2009 के पृष्ठ क्रमांक-भाग-दो(ब)1(सी)1(डी),आडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-20.1(2), यात्रा भत्ता देयकों में दैनिक भत्ता स्थानीय, स्थानीय यात्राओं हेतु मार्ग व्यय तथा होटल चार्जेज आदि का अनियमित भुगतान किये जाने से संबंधित आडिट प्रस्तर पर मा0 समिति के समक्ष नियोजन विभाग द्वारा दिये गये साक्ष्य/आश्वासन का संगत अंश निम्नवत है;-

"राज्य के बाहर तो इसे अनुमन्य कर दिया जाय, राज्य के अन्दर कैसे करना है इसका हम निर्णय कर लें। हम अगली बैठक में इसे रिसाल्व कराकर समिति को अवगत करा देंगें।"

मा0 समिति के समक्ष दिये गये उपरोक्त साक्ष्य/आश्वासन की प्रतिपूर्ति के क्रम में प्रकरण में वित्त विभाग का बहुमूल्य परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है;-

"गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सदस्यों/कार्मिकों को प्रदेश के अन्दर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शासनादेश सं0-जी-2-175/दस-2011-601/2011,दिनांक 31.03.2011 में निर्धारित दरों पर मिलेगा। उक्त के अनुसार दैनिक भत्ता प्रदेश के बाहर उन्हीं दरों पर मिलेगा, जिस दर पर केन्द्र सरकार के कार्मिकों को अनुमन्य है।"

2- प्रकरण में वित्त विभाग से प्राप्त उपरोक्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सदस्यों/कार्मिकों को प्रदेश के अन्दर की गयी यात्रओं हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शासनादेश सं0-जी-2-175/दस-2011-601/2011,दिनांक 31.03.2011 में निर्धारित दरों पर मिलेगा। उक्त के अनुसार दैनिक भत्ता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु उन्हीं दरों पर मिलेगा, जिस दर पर केन्द्र सरकार के कार्मिकों को अनुमन्य है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सदस्यों/कार्मिकों द्वारा प्रदेश के अन्दर एवं बाहर की गयी यात्राओं से संबंधित यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों आदि का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर-2 पर अंकित शासन के निर्णय के अनुसार किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-55 /2016/1447(1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार,लेखा परीक्षा , सत्यनिष्ठ भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारीलखनऊ। ,
7- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
9- सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद पोस्ट, बाक्स नं,10580-0 अरूणा आसफ अली मार्ग।नई दिल्ली ,
10- वित्त(सामान्य) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
12- नियोजन अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.i

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।